

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी - मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 148/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1नेमीचंद पुत्र मोहनलाल देवडा जाति माली निवासी बास तुलीसर ताउसर तहसील व जिला नागौर। 2रूपचंद पुत्र पांचाराम जाति भाटी माली निवासी बाईसर बास ताउसर तहसील व जिला नागौर। 3पापालाल पुत्र बिरदीचंद जाति भाटी माली निवासी बाईसर बास ताउसर तहसील व जिला नागौर।		1मिट्टूराम पुत्र जगराम जाति माली निवासी बाइसर बास, ताउसर तहसील व जिला नागौर। 2ग्राम पंचायत ताउसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ताउसर तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति-

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994
निर्णय**

दिनांक 22.2.21

1- यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ताउसर द्वारा प्रस्ताव दिनांक 15.02.1991 जिसके द्वारा पट्टा सं. 24/1990-91 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 18.05.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं. 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में मिसल सं. 25/1990-91 की फोटोप्रति, पट्टा सं. 24 की फोटोप्रति, ग्राम ताउसर की जमाबंदी (खतौनी) संवत् 2067-70 की फोटोप्रति, मूल फोटो-3, रसीद की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 23.10.17 की फोटोप्रति, पट्टा की रिपोर्ट दिनांक 24.10.17 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 5.4.18 की प्रमाणित प्रतिलिपि, शिकायत प्रार्थना पत्र ग्रामवासी ताउसर दिनांक 11.5.18 के दो प्रार्थना पत्रों की फोटोप्रतियां एवं प्रकरण सं. 29/18 सरकार बनाम रामेश्वरलाल फर्द अहकाम दिनांक 11.05.18 से 14.5.18, निर्णय दिनांक 14.5.18, पट्टा की रिपोर्ट दिनांक 11.5.18, पट्टा का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.5.18 बाबत टीपी रिपोर्ट पेश करने, नोटिस दिनांक 11.5.18, ग्रामवासी ताउसर प्रार्थना पत्र दिनांक 14.5.18 एवं तहसीलदार के पत्र दिनांक 16.5.18 की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड मंगाया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा निगरानी एवं मियाद प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 28.01.2020 को प्रस्तुत किया गया है। निगरानी के विचाराधीन रहते हुए वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 13.12.19 के एक प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी सुनने का अधिकार नहीं होने को लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रकरण के साथ ही बहस सुनी जाकर निस्तारण करने का विनिश्चय किया गया।

2- उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि -

2(1)-प्रस्ताव व पट्टा जैर निगरानी खिलाफ कानून एवं तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं मौके की स्थिति के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

2(2)-विवादित भूमि आबादी भूमि नहीं है व न ही ग्राम पंचायत को आबादी हेतु आवंटित भूमि है। बल्कि राजस्व भूमि है तथा खसरा नं. 651 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा किस्म जमीन गै.मु. गोचर भूमि है जो किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। साथ ही ऐसी भूमि के संबंध में किसी प्रकार का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। भूमि चारागाह उपयोग हेतु सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा राजस्व भूमि है। जिसके संबंध में किसी भी प्रकार का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत को केवल मात्र आबादी भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार है अन्य किसी भी भूमि के संबंध में पट्टा जारी करने हेतु अधिकार नहीं है। फिर भी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गलत रूप से पट्टा जारी किया है। इसलिये भी प्रस्ताव एवं पट्टा जैर निगरानी अवैध व गलत तरीके से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किये गये होने से निरस्तनीय है।

2(3)-ग्राम पंचायत ताउसर द्वारा आबादी भूमि के निस्तारण हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अन्तर्गत जो नियम 141 से 160 तक दिये गये हैं। उनमें से किसी भी नियम की कोई पालना नहीं की है तथा संपूर्ण

कार्यवाही दिये गये नियमों के विपरीत जाकर की गई है। इसलिये भी प्रस्ताव एवं पट्टा जैर निगरानी नियमों के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्तनीय है।

2(4)-आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर करने का आदेश दिया जाता है तथा स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचों की समिति नियुक्ति हेतु पत्रावली आगामी बैठक में रखी जानी आवश्यक है तथा 15 दिवस के भीतर भीतर स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश की जानी आवश्यक है। उक्त पत्रावली में दिनांक 30.06.90 को आवेदन पेश हुआ तथा कमेटी का कोई गठन नहीं किया गया तथा कमेटी द्वारा दिनांक 30.07.90 को निरीक्षण करना बताया गया जबकि निर्देश के 15 दिवस के भीतर मौका देखना आवश्यक है तथा मौका रिपोर्ट पर ग्राम सेवक के कोई हस्ताक्षर नहीं है साथ ही कोई नक्शा भी पेश नहीं हुआ है तथा उसी दिन उक्त रिपोर्ट पेश करना बताकर एक माह मयाद की आपत्ति नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। जिस पर नोटिस जारी किया गया। परंतु नोटिस पर किसी भी प्रकार के क्रमांक अंकित नहीं है तथा उक्त नोटिस कहां पर चस्पा किया गया व कब चस्पा किया गया। इसका कोई अंकन नहीं है। नियम 148 के अनुसार नोटिस दो प्रतियों में जारी किया जाना आवश्यक होता है। जिसमें से एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर व दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। साथ ही एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा होना आवश्यक है। उक्त नोटिस किनके समक्ष कहां पर चस्पा किया गया। इसका कोई अंकन नहीं है। साथ बिना प्रक्रिया की पालना किये प्रस्ताव व पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया है एवं पट्टे पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा पडोस भी गलत दर्ज किये हैं तथा नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया की पालना किये बिना सारी कार्यवाही कर प्रस्ताव व पट्टा जारी किया गया है। जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

2(5)- जिस भूमि के संबंध में पट्टा जारी किया गया है। वह भूमि पूर्णतया खुली भूमि है तथा वहां पर बास बाईसर व तुलीसर एवं ग्राम ताउसर की आबादी का गंदा पानी इकट्ठा होता है जो पिछले कई वर्षों से इकट्ठा होता आया है तथा जिस दिन आवेदन पेश किया। उस दिन भी यहां पर गंदा पानी इकट्ठा होता रहा है तथा गढढा है। जहां पर पानी इकट्ठा रहता है। ऐसी स्थिति में आवेदन पेश करने के दिन अप्रार्थी सं. 1 का किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं था। साथ ही आवेदन पेश होने के पश्चात से लेकर आज दिन तक मौके पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है तथा भूमि पूर्ण रूप से खाली है। जिस पर कोई निर्माण किया हुआ नहीं है। विधि अनुसार केवल मात्र आवासीय भूमि जहां पर आवास हेतु निर्माण होकर आवास रहता है। उसी भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है। अन्य भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। बाकी भूमि का विक्रय नीलामी के द्वारा ही किया जा सकता है। अन्य किसी भी तरीके से पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। नियम 157 के तहत केवल मात्र पुराने मकानों के संबंध में पट्टा जारी किया जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार का रहवास नहीं है व न ही कब्जा है। इसलिये ऐसी भूमि के संबंध में कोई पट्टा जैर निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व नियमों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

2(6)- जो गवाहान के बयान लिये गये हैं। वह बयान एक ही प्रपत्र में दो गवाह के बयान दर्ज किये गये हैं। जबकि दोनों के बयान अलग अलग होने से चाहिये तथा नक्शा में भी केवल मात्र प्लॉट बताया गया है। किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के संबंध में विधि अनुसार कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण कार्यवाही नियम विरुद्ध जाकर की गई है। जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रस्ताव एवं पट्टा जैर निगरानी अपास्त होने योग्य है।

2(7)- प्रार्थीगण का यह भी कथन रहा है कि आराजी भूमि ग्राम ताउसर के खसरा नं. 651 गै.मु. गोचर में स्थित है तथा इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टवारी हल्का से जानकारी लिये जाने पर पट्टवारी हल्का ने दिनांक 24.10.17 को अवगत कराया था कि आराजी भूमि खसरा नं. 651 रकबा 7.15 बीघा गै.मु. गोचर भूमि में स्थित है। राजकीय गोचर भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने के कोई अधिकार नहीं है। आराजी भूमि को लेकर तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 29/18 सरकार बनाम रामेश्वरलाल में आराजी भूमि को गोचर भूमि मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 14.05.2018 को भौतिक रूप से बेदखली व शास्ति के आदेश भी पारित किये गये हैं, भूमि से चिपती ही आराजी भूमि इसी खसरे नं. 651 में ही स्थित है। ऐसी स्थिति में राजकीय भूमि पर यदि पंचायत द्वारा पट्टा जारी कर भी दिया जाता है तो वो शुरु से ही प्रभाव शून्य (Ab-initio-void) माना जायेगा तथा अपने कथन के समर्थन में घेवरचंद बनाम राज. सरकार अन्य एसबी सिविल रिट पिटिशन सं. 8887/2017 की फोटोप्रति, 2011(3) डीएनजे (राज) पेज 1286, 2010(3) डीएनजे (राज) पेज 1147, 2015(1) डीएनजे (राज) पेज 443, 2016(4) डीएनजे (राज) पेज 1799, आरआरटी 2002 (2) पेज 737, 2013(1) डीएनजे (राज) पेज 177, 2008(3) डीएनजे (राज) पेज 604, 2016(3) डीएनजे (राज) पेज 1202, 2016(3) डीएनजे (राज) पेज 1202, 2003(2) आरआरटी (राज) पेज 1328, 2015(2) डीएनजे (राज) पेज 595, 2009(1) आरआरटी (राज) पेज 609 तथा 2012(2) आरआरटी (राज) पेज 1265 नजीरे प्रस्तुत की।

3- वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस शुरु करते हुए तर्क दिया गया कि -

3(1)-प्रश्नगत भूमि का राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत आपसी बातचीत से आबादी भूमि का विक्रय / हस्तान्तरण किया गया है। जिसका नियम 266 (घ) के अन्तर्गत 18-20 वर्ष का कब्जा मानते

- हुए 889 रु. बाजार कीमत पर मानते हुए विक्रय किया गया है। जो विहित प्रक्रिया के तहत ही जारी हुआ है।
- 3(2)-अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा दिनांक 15.06.1991 को जारी किया गया है। जिसकी निगरानी दिनांक 17.04.18 को करीबन 27 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो मियाद बाहर है तथा मियाद हेतु प्रत्येक दिन के विलंब को बताना पडता है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा चला आ रहा है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासियों को थी। प्रथम जानकारी दिनांक 12.04.18 को होने के कथन मिथ्या व मनगढन्त है। निगरानी को मियाद की अवधि में छूट प्रदान करने का पर्याप्त कारण नहीं होने से इस आधार पर चलने योग्य नहीं है।
- 3(3)-वकील अप्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थीगण को न्यायालय हाजा में निगरानी पेश करने एवं न्यायालय हाजा को इस निगरानी पर सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। बल्कि धारा 97 के अनुसार निगरानी को सुनने का अधिकार केवल राजस्थान सरकार को है। माननीय राज. उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2018-19 (Suppl) पेज 125 बअनवान पन्नालाल बनाम सुशीलादेवी के अनुसार अति. कलक्टर / कलक्टर को धारा 97 में निगरानी सुनने का अधिकार नहीं दिया गया है। इससे निगरानी क्षेत्राधिकार के बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।
- 3(4)-वकील अप्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि आराजी भूमि आबादी की नहीं हो, ऐसे कोई दस्तावेजी आधार अभिलेख पर नहीं है। ऐसी स्थिति में आबादी भूमि पर ही पट्टा जारी किया जाना माना जायेगा।
- 4- वकील प्रार्थी ने वकील अप्रार्थी की बहस का जवाब देते हुए बताया कि -
- 4(1)- आराजी भूमि राजकीय गोचर भूमि है। जिसमें ग्राम पंचायत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों का हित होता है तथा विवादित पट्टा गोचर भूमि से संबंधित होने से वो हितबद्ध पक्षकार है तथा निगरानी ला सकता है। पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रस्ताव को किसी भी व्यक्ति द्वारा चलेन्ज किये जाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यहां तक कि संज्ञान में आने पर न्यायालय स्वप्रेरणा से भी कार्यवाही कर सकता है।
- 4(2)- मियाद के बिन्दु पर वकील प्रार्थी का कथन रहा है कि आराजी भूमि पर शुरू से ही गांव का गंदा पानी भरा रहता था। जहां अप्रार्थी ने कब्जा करने पर आमादा हुए तो प्रार्थीगण व अन्य लोगो ने एतराज किये जाने पर सर्वप्रथम जानकारी 08.04.2018 को होते ही ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड आदि की नकले लेकर दिनांक 17.04.18 को निगरानी हाजा प्रस्तुत की गई है। साथ ही निगरानी के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा राजकीय गोचर भूमि से संबंधित है। जो शुरू से ही अवैध एवं प्रभाव शून्य होने से ऐसे आदेश को कभी भी चलेन्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही निगरानी के मामले में मियाद के प्रावधान लागू भी नहीं होते हैं।
- 4(3)-वकील प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखण्ड विक्रय प्रस्ताव / पट्टा दिये जाने से संबंधित मामले में क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर बताया कि जहां धारा 97 के तहत इस प्रकार के मामले सुनवाई किये जाने की शक्तियां इस न्यायालय को निहित करती है जहां पंचायत राज नियमों के तहत पारित विनिश्चय/आदेश के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। उनके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को चलेन्ज किया गया है। अप्रार्थी द्वारा क्षेत्राधिकार को लेकर प्रस्तुत नजीर पंचायत राज अधिनियम 1994 का संशोधन दिनांक 03.12.96 धारा 38 (5) से संबंधित है। जो पंचायत राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष / सदस्य को पद से हटाने को लेकर है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल स्पेशल अपील सं. 108/2006 पन्नालाल बनाम सुशीला में दिनांक 12.02.08 को आदेश पारित किया गया है। जिसका प्रकाशन आरआरटी 2018-19 (Suppl) पेज 125 पर हुआ है। इसके पश्चात में नया नोटिफिकेशन 23.12.04 प्रभावी हो जाने से उक्त नजीर इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। इस संबंध में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.12.96 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1944 की धारा 97 की शक्तियां जिला कलक्टर को प्रदत्त की गयी थी। जिन्हे आदेश दिनांक 1.2.02 के द्वारा धारा 97 के अन्तर्गत जिला कलक्टर को धारा 97 की शक्तियां प्रयोग करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया था, जिसके पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.12.2004 के द्वारा पूर्व अधिसूचना दिनांक 03.12.96 (पंचों को हटाने संबंधी अधिकार के अलावा) को दिनांक 1.2.2002 से ही पुनर्स्थापित कर दिये जाने से जिला कलक्टर को पंचों को हटाने के अलावा धारा 97 के तहत किसी पंचायत राज संस्था द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा अपने कथन के समर्थन में हमारा ध्यान माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी सिविल रिट पिटिशन नं. 8887/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.08.17 की ओर दिलाया।
- 5- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया, जिसके अनुसार -
- 5(1)- प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली सं. 25/90-91 जिसमें प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 15.02.1991 को अप्रार्थी मिट्टीरम पुत्र जगराम को पट्टा सं. 24 दिनांक 15.06.91 जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
- 5(2)- प्रार्थीगण द्वारा निगरानी के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा आराजी भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 मिट्टी भरवाने पर आमादा होने व कब्जा करने पर आमादा होने से प्रार्थीगण व अन्य निवासियों द्वारा एतराज करने पर पट्टा जारी होने की जानकारी दिनांक 9.4.18

को होने पर निगरानी दिनांक 17.04.18 को प्रस्तुत की गई है। प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक गोचर सरकार के स्वामित्व की भूमि बिना वैध पात्रता के भूमि का आवंटन प्रारंभतः शून्य होने से, ऐसे आदेश को कभी भी चलेनज किया जा सकता है तथा मियाद मार्ग में बाधा नहीं मानी जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की निगरानी अंदर मियाद मानी जाती है।

5(3)- अप्रार्थी का उजर रहा है कि प्रश्नगत भूमि का राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत आपसी बातचीत से आबादी भूमि का विक्रय / हस्तान्तरण किया गया है। जिसका नियम 266 (घ) के अन्तर्गत 18-20 वर्ष का कब्जा मानते हुए 889 रु. बाजार कीमत पर मानते हुए विक्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में पंचायत राज नियमों के अन्तर्गत जारी आवंटन / विक्रय से संबंधित प्रस्ताव पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधान यथा "राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितवद् व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिये तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।" अधिकारिता को लेकर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.12.96 के द्वारा जिला कलक्टर को धारा 97 की शक्तियां प्रदत्त की गयी थी। तत्पश्चात् राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 139 (5) पं. रावि / शिक्षा / 2000 / 294 दिनांक 01.02.2002 के द्वारा दिनांक 01.02.02 के पश्चात् धारा 97 के तहत सुनवाई के अधिकार वापस लिये गये। तत्पश्चात् राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ4 (10) परावि / विधि / संशोधन / 2004 / 3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार, अधिसूचना दिनांक 03.12.96 (पंचों को हटाने के अधिकार के अलावा) को दिनांक 01.02.2002 से ही पुनर्स्थापित कर जिला कलक्टर को शक्तियां प्रदान की हुई है। ऐसी स्थिति में पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 के तहत निगरानी सुनने के क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में निहित है। इस स्थिति में भी निगरानी सुनवाई क्षेत्राधिकार में कोई बाध्यता प्रतीत नहीं होती है तथा इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी सिविल रिट पिटिशन नं. 8887/2017 घेवरचंद बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.08.17 का समर्थन मिलता है।

5(4)- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम पंचायत ताउसर के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 23.10.17 के द्वारा स्कीम बाजार के पास स्थित राजकीय अस्पताल प्राथमिक चिकित्सालय के सामने खुली पडी जमीन पर पानी इकट्टा हो रखा है। उक्त भूमि की किस्म रामेश्वरलाल पुत्र पूनमचंद द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में पटवारी से जानकारी चाही गयी। जिस पर पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 24.10.17 के अनुसार उक्त भूमि ग्राम ताउसर के राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा अनुसार खसरा नं. 651 रकबा 7.15 बीघा गै.मु. गोचर में अवस्थित होना बताया गया है तथा पत्रावली पर प्रस्तुत तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 29/18 सरकार बनाम रामेश्वरलाल अधीन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित आदेश दिनांक 14.05.18 से भी विवादित भूमि खसरा नं. 651 गै.मु. गोचर वाके ताउसर का भू भाग इसी प्रश्नगत भूमि में ही होना प्रकट करता है। जब भूमि आबादी क्षेत्र की नहीं है तथा न ही पंचायत की अपनी भूमि है तो ऐसी भूमि को पंचायत द्वारा विक्रय / आवंटन के कोई अधिकार निहित नहीं करते हुए भी प्रस्ताव जैर निगरानी पारित किया जाना प्रकट है।

5(5)- अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली सं. 25/90-91 श्री मिटदूराम पुत्र जगराम का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 30.06.90 को उसके पीढियों की कब्जासुद भूमि का पट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तीन वार्ड पंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.07.90 को प्रस्तुत हुई है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 30.07.90 के द्वारा कब्जासुद भूमि का पट्टा बनाने बाबत एक माह का मियाद का आपत्ति नोटिस जारी करने का विनिश्चय किया गया है। जिस पर दिनांक 30.07.90 को जारी नोटिस आम गुवाड में धनराज के सामने चर्चा किया जाना अंकन आया है। कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत ताउसर दिनांक 30.9.90 के प्रस्ताव सं. 1 के अनुसार आपत्ति नोटिस पर कोई आपत्ति नहीं होना मानते हुए संबंधित प्रार्थी को कब्जे के सबूत एवं बयान हेतु आगामी बैठक में पेश करने के निर्देश दिये गये। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 256 (2) के तहत पंचायत से आबादी भूमि खरीदने के लिये दरखास्त के साथ पंचायत में 2 रु. जो भूमि खरीदी जानी है। उसका नक्शा तैयार करने के लिये जमा करवाये जाने के प्रावधान है। मगर प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवायी गयी हो, ऐसा पत्रावली पर नहीं है। नियम 260 के अन्तर्गत सूचना पत्र दो प्रतियों में तैयार किया जाकर एक प्रति उसे बेची जाने के लिये प्रस्थापित भूमि के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकायी जायेगी और दूसरी प्रति उसको वहां चिपकाये जाने की पुष्टि में उस स्थान के कम से कम दो स्थानीय व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगे। पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस आपत्ति विज्ञप्ति की प्रति पृष्ठ पर नोटिस आम गुवाड में धनराज व पापालाल के सामने चर्चा किये जाने का अंकन है। जबकि ये नोटिस संबंधित स्थल पर चर्चानगी दो स्थानीय व्यक्तियों

के सामने चस्पानगी नहीं हुई है। धनराज व पापालाल नामक व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति है अथवा नहीं, उसकी वल्लिदयत व निवास का विवरण अंकित नहीं है। जिससे आपति नोटिस की पर्याप्तता दर्शित नहीं होती है। साक्ष्य के बयानो मे विवादित भूमि पर कब्जा 18-20 वर्ष पुराना बताया गया है। मगर कब्जा किस प्रकार से है, आया उस पर कोई निर्माण है अथवा नहीं। ऐसा कोई अंकन नहीं है। जिससे भी आराजी भूमि तत्समय खुली होना ही प्रकट करता है। इस प्रकार पटटा जैर निगरानी पारित करने से पूर्व पंचायत राज नियमो के विधिक आज्ञापक प्रावधानो की पालना किया जाना भी प्रकट नहीं होता है।

ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ताउसर की बैठक दिनांक 15.02.1991 के प्रस्ताव सं. 3 के द्वारा मिसल सं. 25/90-91 मिटठूराम पुत्र जगराम माली को पटटा जारी करने से संबंधित प्रस्ताव एवं मिसल सं. 25/90-91 मे जारी पटटा सं. 24 बहक मिटठूराम की सीमा तक निरस्त किया जाता है।

7- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मनोज कुमार)

अपर कलक्टर, नौगाँव